

गिरधारीसिंह व अन्य बनाम लक्ष्मणसिंह व अन्य  
प्रकरण संख्या:-46/2025  
निर्णय दिनांक:-08/10/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

(पीठासीन अधिकारी: श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 46/2025 प्रार्थनापत्र

दायर दिनांक :- 19/06/2025

निर्णय दिनांक :- 08/10/2025

अनवान

1. गिरधारीसिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी कीटो का बाडिया मजरा चौड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. गंगासिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी कीटो का बाडिया मजरा चौड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. घीसासिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी कीटो का बाडिया मजरा चौड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. तेजसिंह पिता भैरूसिंह जाति रावत निवासी कीटो का बाडिया मजरा चौड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पिता कुंपसिंह जाति रावत निवासी कीटो का बाडिया मजरा चौड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. तेजपालसिंह पिता हरिसिंह जाति रावत निवासी कीटो का बाडिया मजरा चौड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. गंगादेवी पत्नी दीपसिंह जाति रावत निवासी कीटो का बाडिया मजरा चौड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. अजमालसिंह पिता जीवनसिंह जाति रावत निवासी कीटो का बाडिया मजरा चौड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से



निवेदन किया गया कि ग्राम कीटो का वाडिया पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि आराजीयात स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 6 आराजी संख्या 455/379 कुल किता 01 कुल रकबा 3.8900 हैक्टेयर भूमि है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजीयात प्रार्थीगणो की खातेदारी है एवं प्रार्थीगणो ही उक्त नम्बर की देख भाल कर रहे है। पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करते चला आ रहे है, किन्तु प्रार्थीगणो की उक्त भूमि के चारो ओर पत्थर की पक्की बाउन्ड्री / सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो कि उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पडौसी है एवं हर समय फसल की कटाई एवं बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनावश्यक प्रार्थीगण को मुकदमे बाजी के लिये विवश होने पडते है। मौके पर अशांती कायम रहती है प्रार्थीगण शांति पूर्वक काश्त, उपयोग व उपभोग भूमि का नही कर पा रहा है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षीगण की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षीगण प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी है किन्तु सीमा बाबत् विवाद विपक्षीगण से पैदा होता है इसलिये आराजीयात के पडौसी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप ये विपक्षी बनाया गया है। प्रार्थीगण खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थीगणो को फसलो की बुवाई, कटाई के समय विपक्षीगण आराजीयात बाबत् जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा, हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीगण शान्ति पूर्वक काश्त वगैरहा व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में



विपक्षी संख्या 5 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में औपचारिक पक्षकार बनाये गये है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि के उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित ग्राम कीटो का वाडिया पटवार मण्डल कामली की खाता नम्बर 06 आराजी संख्या 455/379 कुल किता 01 कुल रकबा 3.8900 हैक्टेयर भूमि की बाद नपती पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने पत्थरगढी किए जाने हेतु सहमति प्रदान की। अप्रार्थी संख्या 05 के विरुद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है:-

111. Decision of disputes as to boundaries -

(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where



this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party bease entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

128. Boundary disputes – All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in Section 111.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम कीटो का वाडिया पटवार मण्डल कामली की खाता नम्बर 06 आराजी संख्या 455/379 कुल किता 01 कुल रकबा 3.8900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शों के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन कार्यवाही की जावें। पत्थरगढ़ी आदेश



गिरधारीसिंह व अन्य बनाम लक्ष्मणसिंह व अन्य

प्रकरण संख्या:-46/2025

निर्णय दिनांक:-08/10/2025

को कब्जा सुपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। पालना हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को लिखा जावें पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।



*me'*  
(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़  
देवगढ़ जिला राजसमन्द  
जिला-राजसमन्द (राज.)